



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]
No. 783]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2007/आषाढ 7, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2007/ASADHA 7, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जून, 2007

का.आ. 1046(अ).—राजपत्र अधिसूचना का.आ. संख्या 262(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2007 में आंशिक संशोधन में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं।

क्र. सं.	संदर्भ	के लिए	पदे
1.	पैरा 3. क्रम सं. 12 पंक्ति-1	प्रो. राघवेन्द्र गाडेकर	राघवेन्द्र गडगकर प्रोफेसर एवं जे. सी. बोस नेशनल फ़ैलो

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

जी. बालाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 की संख्या का.आ. 1147(अ), और बाद की अधिसूचना संख्या का.आ. 497(अ), दिनांक 15 अप्रैल, 2004 और का.आ. 262(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2007 के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th June, 2007

S. O. 1046(E).—In partial modification of the Gazette Notification S.O. No. 262(E), dated 22nd February, 2007 the following amendments may be made :—

S. No.	Reference	For	Read
1.	Page 3. Sl. No. 12 Line-1	Prof. Raghvender Gadhekar	Raghavendra Gadagkar Professor and J. C. Bose National Fellow

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]

G. BALACHANDRAN, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 1st October, 2003 vide No. S.O. 1147(E) dated the 1st October, 2003 and subsequent Notification Nos. S.O. 497(E), dated 15th April, 2004 and S.O. 262(E) dated 22nd February, 2007.